


न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म0प्र0)



R 829-II 17

शान्ती बाई पति सम्मेलाल सिंह गोड़ निवासी ग्राम परासी तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र
.....निगरानीकर्ता / आवेदक
बनाम

1. भूपत सिंह पिता केशव सिंह गोड़ निवासी ग्राम परासी तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0
.....गैरनिगराकार / अनावेदकगण

श्री. मांगे उतारे निवासी
द्वारा आज दि 6-3-17 को
प्रस्तुत
जुजिंक ऑफिस-कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यु. 3h-d
24/02/2017
6-3-2017

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् कलेक्टर महोदय
अनूपपुर के राजस्व प्रकरण क्र0
36/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक
06.02.2017 में (निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील
विरुद्ध आदेश दिनांक 30.12.2013 द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जरिये रा0प्र0क्र0
01/अ-23/2013-14 के सम्बंध में) अन्तर्गत
धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता / आवेदक उन्मान प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर के
रा0प्र0क्र0 36/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के सम्बंध में
निगरानी (पुनरीक्षण) प्रस्तुत कर विनय है कि:-

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

1. यहकि, भूमि ग्राम परासी प0ह0 हरद रा0नि0गं0 फुनगा तहसील व जिला अनूपपुर
स्थित ख0नं0 479/1, रकवा 0.942हे0, निगरानीकर्ता ने विक्रेता दुर्गेश सिंह पिता
.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 829-दो/2017

जिला अनूपपुर

शान्ती विरुद्ध भूपत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-4-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अनूपपुर के प्र० कं० 36/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-2-2017 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोक से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक की अपील को म्याद के बाहर निरस्त किया है। कलेक्टर का आदेश अपील योग्य आदेश है, परन्तु आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(एस० एस० अली) सदस्य</p>